भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1691

सोमवार, 2 मार्च, 2020/12 फाल्गुन, 1941 (शक)

श्रमिक संघ

1691. श्री पी. सी. गद्दीगौदर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में विभिन्न श्रमिक संघों ने देशव्यापी हड़ताल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बैंकों और पीएसयू की सेवाएं किस प्रकार प्रभावित हुई हैं और गत तीन वर्षों के दौरान श्रमिक संघों द्वारा उक्त कितनी हड़तालों का आवाहन किया गया है और इसके परिणामस्वरूप केन्द्र/राज्य सरकारों को श्रमदिवसों सहित कितना नुकसान हुआ है;

(ग) क्या सरकार ने बार-बार होने वाली हड़तालों को रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं ताकि आम आदमी को समस्याओं से बचाया जा सके और श्रमिक संघों की वास्तविक शिकायतों का समाधन किया जा सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): जी, हां। हाल में 08.01.2020 को देशव्यापी हड़ताल की गई थी। जिन संघों ने हड़ताल की, वे हैं:-

- ज्वाइंट फोरम ऑफ ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया
- नेशनल डिफेंस वर्कर्स यूनियन
- एम्यूनीशन फैक्ट्री वर्कर्स यूनियन
- ऑल इंडिया डिफेंस फेडरेशन
- ऑर्डनेंस एम्प्लॉयस यूनियन, अम्बरनाथ
- नेवल आरमानेंट डीपो सिविल एम्प्लॉयज यूनियन
- सीओडी मजदूर यूनियन
- आर्डनेंस फैक्ट्री कर्मचारी यूनियन
- कोच्ची पोर्ट स्टाफ एसोसिएशन
- पावर ग्रिड एम्प्लॉयज यूनियन
- उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड मेडिकल एण्ड सेल्स रीप्रजेंटेटिव एसोसिएशन

सामान्य हड़ताल के कारण पाई गई औसत अनुपस्थिति 15 प्रतिशत थी।

31.01.2020 से 01.02.2020 तक भी अखिल भारतीय हड़ताल का आवाहन यूनाइटेड फॉरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा किया गया था और अनुपस्थिति 88 प्रतिशत थी।

वर्ष 2017 से 2019 के दौरान हुई सभी हड़तालों का ब्यौरा अनुबंध में है।

(ग) से (ङ): सरकार को जैसे ही हड़ताल सूचना प्राप्त होती है, मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के कार्यालय के अंतर्गत केंद्रीय औद्योगिक संबंध मशीनरी (सीआईआरएम) हड़ताल में शामिल मुद्दों के समाधान के उद्देश्यों से सुलह कार्यवाही शुरू करता है। सीआईआरएम द्वारा इस तरह के हस्तक्षेप के कारण वर्ष 2017-18 के दौरान टाली गई हड़तालों की संख्या 475, 2018-19 में 462 और 2019-20 में 280 थी।

* ****

अनुबंध

श्रमिक संघों से संबंधित 02.03.2020 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1691 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वर्ष 2017-2019 के दौरान केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत हुई हड़तालें (अनंतिम)

	हड़तालों की संख्या			श्रम दिवसों हानि संख्या(रुपये में)			उत्पादन में हानि (रुपये में)		
उद्योग	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
पत्तन एवं गोदी	2	*	*	2768	-	*	144000000	*	*
गैर-कोयला खानें	1	*	*	124	-	*	1147783	*	*
बैंक	29	27	8	516426	811955	243928	1818000000	-	-
रेलवे (कार्यशालाओं के अतिरिक्त)	1	*	1	3865	*	120000	52300002	*	-
डाक एवं टैलिग्राफ	1	1	3	24090	17334	27184	-	-	-
अन्य केंद्रीय उपक्रम	1	1	7	386	7421	78393	7520000	80000000	334353000
कोयला खानें	*	*	6	*	*	122148	*	*	79900000
तेल क्षेत्र	*	*	1	*	*	40964	*	*	-
बीमा	*	*	4	*	*	27376	*	*	-

- = उपलब्ध नहीं

*= लागू नहीं

नोट: यह विवरण 24 फरवरी, 2020 तक ब्यूरो को प्राप्त स्वैच्छिक विवरणी/सूचना पर आधारित है।

स्रोत: श्रम ब्यूरो, शिमला